

कार्यालय सिटी मिशन प्रबंधन ईकाई नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)
(दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन)
प्रथम तल, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भवन, कलेक्ट्रेट परिसर, कोरबा (छ.ग.)
ई-मेल: cmmu.korba@gmail.com

क्रमांक / / श.वि.अ. / यूआईपीए / कोरबा, दिनांक / 08 / 2023

// रुचि की अभिव्यक्ति की सूचना //

महात्मा गांधी अर्बन इंडिस्ट्रीयल पार्क (यू.आई.पी.ए) अर्थात् अर्बन आजीविका पार्क हेतु गोबर पेंट यूनिट संचालन के संबंध में स्वसंहायता समूह का चयन किया जाना है।

उक्त कार्य हेतु महिला स्वसंहायता समूहों से दिनांक 05/09/2023 तक ई.ओ.आई.स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। ई.ओ.आई. खोलने की तिथि 06/09/2023 समय शाम 5:00 बजे है।

टीप'— विस्तृत नियम एवं शर्तें कार्यालयीन अवधि में कार्यालय के सूचना पटल एवं विभागीय वेबसाईट www.korbamunicipal.in में देखी जा सकती है।

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
कोरबा (छ0ग0)

कार्यालय सिटी मिशन प्रबंधन ईकाई नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

(दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन)

प्रथम तल, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भवन, कलेक्ट्रेट परिसर, कोरबा (छ.ग.)

ई-मेल: cmmu.korba@gmail.com

क्रमांक / २६३५/श.वि.अ./यूआइपीए/

कोरबा, दिनांक २५/०९/२०२३

// रुचि की अभिव्यक्ति //

महात्मा गांधी अर्बन इंडिस्ट्रीयल पार्क (यूआई.पी.ए) अर्थात अर्बन आजीविका पार्क हेतु गोबर पेंट यूनिट संचालन के संबंध में स्वसंहायता समूह का चयन किया जाना है। उक्त कार्य हेतु इच्छुक महिला स्वसंहायता समूह दिनांक ०५/०९/२०२३ तक सायं ५:०० बजे तक आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के संपदा शाखा में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। उक्त हेतु आवश्यक अर्हताएं एवं नियम शर्तेः—

1. इच्छुक महिला स्वसंहायता समूह नगरीय निकाय नगर पालिक निगम, कोरबा का होना अनिवार्य है।
2. इच्छुक स्वसंहायता समूह निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
3. इच्छुक स्वसंहायता समूह को आवेदन के साथ राशि रु. 10,000.00 मात्र की अमानत राशि का डी.डी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ०ग०) के नाम से बनाकर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त डिमांड ड्राफ्ट किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगा।
4. आफरदाता को लिफाफा "अ" में अमानत राशि का एफ.डी.आर.लिफाफा "ब" पंजीयन प्रमाण पत्र(नोटरी/स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना होगा।
5. लिफाफा "अ" एवं "ब" लिफाफा के पृष्ठ भाग पर स्पष्ट शब्दों में लिखा होना आवश्यक होगा। एवं पोस्टल पता सहित बड़े लिफाफा में डालकर स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्री द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा छ०ग० को प्रस्तुत करना होगा।
6. ऑफर स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से ही स्वीकार की जावेगी।
7. सफल आफरदाता को अनुबंध हेतु सूचित किया जावेगा। जिसमें उल्लेखित समयानुसार अनुबंध करना होगा समय सीमा में अनुबंध नहीं किये जाने की स्थिति में जमा अमानत राशि राजसात करते हुए निविदा निरस्त कर दी जावेगी जिसकी पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
8. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा छ०ग० का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
9. आवश्यकतानुसार कार्य की समयावधि को कम या अधिक करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा छ०ग० के पास सुरक्षित रहेगा।
10. अनुबंधित संस्था द्वारा कार्य नहीं करने की स्थिति में धरोहर राशि राजसात कर दी जावेगी एवं दण्ड विधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।
11. इच्छुक स्व संहायता समूहों को गुण दोष के आधार पर चिन्हाकित किया जावेगा।
12. यूआई.पी.ए. के संचालन हेतु 18 वर्ष से कम आयु के कामगार नहीं रखे जावेंगे।
13. अनुबंधित स्वसंहायता समूह द्वारा इस कार्य हेतु संलग्न कर्मचारियों की गैर कानूनी कार्यों में संलिप्तता होने की स्थिति में संपूर्ण जवाबदारी संस्था की होगी।

14. विभाग की अधिकारियों की दृष्टि में अनुबंधित स्वसहायता समूह द्वारा उपलब्धता कराया गया कर्मचारी कार्य सही ढंग से नहीं करता है, उन्माद करता है अन्य कोई ऐसा कार्य करता है जो नियम के विरुद्ध है तो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरांत चौबीस घंटे के अंदर उक्त कर्मचारी को कार्य से पृथक कर अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुबंधित स्वसहायता समूह बाध्य होगी।
15. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर उसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबंधित स्व सहायता समूह की होगी।
16. आवेदक स्व सहायता समूह (एस.एच.जी) छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 संसोधित 1998 के तहत अथवा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत 02 वर्ष पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य है।
17. आवेदक स्व सहायता समूह (एस.एच.जी) का रजिस्टर अभिलेख नियमित रूप से संधारित होना चाहिए।
18. आवेदक स्व सहायता समूह (एस.एच.जी) का पंचसूत्र के सिद्धांत का पालन करना अनिवार्य होगा।
19. स्वसहायता समूह के कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी।
20. बैंकों में लेन देन नियमित रूप से होना चाहिए।
21. आवेदक स्वसहायता समूह को विगत 02 वर्ष का आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
22. स्वसहायता समूह का कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष का रहेगा। कार्य संतोषप्रद रहने की स्थिति में कार्यकाल 01 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकेगा।
23. ई.ओ.आई. के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद के निराकरण हेतु आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
24. यूआई.पी.ए. के तहत गोबर पेंट संचालन यूनिट हेतु स्वसहायता समूह का चयन जिला कियान्वयन एवं स्वीकृति समिति द्वारा किया जावेगा।
25. स्व सहायता समूह को बिजली बिल का भुगतान स्वयं करना होगा।
26. स्व सहायता समूह को रॉ मटेरियल हेतु स्वयं व्यय करना होगा।
27. स्व सहायता समूह को एकाउंट समन्वय हेतु एकाउंटेंट की व्यवस्था स्वयं करना होगा।
28. स्व सहायता समूह को जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा साथ ही बेचे जाने वाले हर एक मटेरियल, सामान का जीएसटी इन्वाइस देना आवश्यक होगा। बिना जीएसटी इन्वाइस के सामान बेचे जाने पर दण्ड विधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।
29. गोबर पेंट उद्योग संचालन संबंधी आवश्यक सर्टिफिकेशन/गुणवत्ता मापदण्ड संबंधित मानक स्टेंडर्ड टेस्टींग एवं अन्य आवश्यक अनुमति स्वसहायता समूह को स्वयं के व्यय पर लेनी होगी।
30. गोबर पेंट मशीनों का संचालन एवं समयानुसार आवश्यक सर्विसिंग एवं मरम्मत संबंधित कार्य स्वसहायता समूह के द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जावेगा मशीनों की किसी भी प्रकार का क्षतिग्रस्त होने की अवस्था में स्वसहायता समूह को स्वयं के व्यय पर पुनः निर्माण/ मरम्मत किया जाना आवश्यक होगा।
31. गोबर पेंट यूनिट स्थल को केवल गोबर पेंट संचालन करने के लिए अस्थायी रूप से नियमानुसार प्रदान किया जावेगा, स्थल एवं मशीनरी का मालिकाना हक प्रदान नहीं किया जायेगा।
32. स्वसहायता समूह एवं निगम के पारस्परिक अनुबंध के आधार पर निगम द्वारा निर्धारित यूजर चार्ज देय होगा।
33. विस्तृत नियम एवं शर्ते कार्यालयीन अवधि में कार्यालय के सूचना पटल एवं विभागीय वेबसाईट www.korbamunicipal.in में देखी जा सकती है।

K.M.O
आयुक्त,
तांगर पालिक निगम,
कोरबा(छोगो)

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

मुख्य कार्यालय साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा (छ0ग0)

आवेदन पत्र

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, कोरबा
जिल—कोरबा (छ0ग0)

1. आवेदित स्वसहायता समूह का नाम
2. (क) स्वसहायता समूह का पंजीयन क्रमांक.....
(ख) स्वसहायता समूह का अध्यक्ष का नाम.....
(ग) वर्तमान डाक का पता.....
(जिस पर पत्र व्यवहार किया जावेगा).....
(घ) स्थायी डाक का पता
(ड.) मोबाईल नंबर.....
3. GST नंबर आधार नंबर.....
4. डी.डी. का क्रमांक..... राशि..... बैंक का नाम शाखा सहित
5. इच्छुक उद्यम हेतु लगाये जाने वाले अधिकतम पूँजी.....
(आवश्यक दस्तावेज विवरण कोटेशन रूप मे संलग्न कर सकते हैं)
6. कर्मचारी को दिये जाने वाला मासिक वेतन
(वेतन श्रमायुक्त द्वारा जारी परिश्रमिक से कम ना हो)
7. अन्य दस्तावेजो को संलग्न करें:-
 1. स्वसहायता समूह की पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
 2. आधार कार्ड
 3. राशन कार्ड
 4. जीएसटी एवं पेन कार्ड
 5. प्रोजेक्ट रिपोर्ट

हस्ताक्षर

स्वसहायता समूह के अध्यक्ष

1. नाम.....
2. पता.....

घोषणा पत्र

मै एतद द्वारा घोषणा करता / करती हूं कि मैने इ.ओ.आई में जारी पात्रता की शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है । जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां सत्य और सही हैं । मुझे मालूम है कि यदि कोई जानकारी असत्य पायी जावेगी तो मेरा आवेदन निरस्त किया जावेगा । जिसके विरुद्ध मेरे द्वारा कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा तथा समिति द्वारा दिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा ।